कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 18 / 2023–24 / 368 दिनांकः 25 जून 2024

चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के रिक्त 1455 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश तथा अभिलेख सत्यापन कलैण्डर।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 18 / 2023–24 / 203 दिनांक 11 मार्च 2024 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में समूह 'ग' के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त के क्रम में **अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार** वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री / डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग डेढ़ गुना (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु **दिनांक 09 जुलाई, 2024 (मंगलवार) से दिनांक 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) तक** प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में आमंत्रित किया जाता है।

नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरुष) के रिक्त 1455 पदों के लिए तिथिवार अभिलेख सत्यापन की तिथि निम्नानुसार है–

क्रमांक	पद का नाम	पदकोड	अभिलेख सत्यापन की तिथि
1	नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारी	201	दिनांक 09 जुलाई 2024 (मंगलवार) से दिनांक 29 जुलाई 2024 (सोमवार) तक
2	नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारी	202	दिनांक 30 जुलाई 2024 (मंगलवार) से दिनांक 07 अगस्त 2024 (बुधवार) तक
3	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक	203	दिनांक 08 अगस्त 2024 (वृहस्पतिवार) से दिनांक 13 अगस्त 2024 (सोमवार) तक
4	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीधारक	204	दिनांक 14 अगस्त 2024 (बुधवार) से दिनांक 16 अगस्त 2024 (शुक्रवार) तक
द्वितीय शनिवार, रविवार तथा राजकीय अवकाशों को कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे। पदवार विस्तृत अभिलेख सत्यापन तिथि हेतु इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' का अवलोकन करें।			

नोट– अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिनांक 02 जुलाई 2024 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्व में

उपलब्ध कराए गए लिंक पर ही प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। बिना प्रवेश पत्र एवं वैध आई0डी0 (मूल रुप में) के अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन स्थल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें:–

- नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के रिक्त 1455 पदों के सापेक्ष आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणियों के रिक्त पदों की संख्या से लगभग डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) आवेदन पत्रों से प्राप्त डाटा के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित किये जाने से कदाचित यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन किया गया है।
- अभिलेख सत्यापन के उपरान्त ही रिक्त 1455 पदों के सापेक्ष वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।
- अभिलेख सत्यापन के समय यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित अर्हता से सम्बन्धित मूल अभिलेख, डिप्लोमा/डिग्री कोर्स की सभी अंकतालिकाएं, वैध जाति प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को वैध), उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् में स्थाई रुप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, (जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया हो तथा जैसा कि आवेदन पत्र में अंकित किया गया हो) एवं अन्य वांछित अभिलेख जिनका उल्लेख प्रवेश पत्र के साथ संलग्न तालिका 'क' में किया गया है, प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/20709 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो कि आवेदन पत्र जमा करने अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया हो, अभिलेख सत्यापन दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थी यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी आरक्षण देय नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बोर्ड के समक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हे नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा– 2024 में अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा– 2024 में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को पूर्व में उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- अभ्यर्थी को निम्नलिखित तथ्यों के कारण अनर्ह घोषित किया जा सकता है:–

1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिस पद हेतु दावा किया है, वह उसी पद हेतु वांछित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता/करती हो। यदि किसी अभ्यर्थी ने जी0एन0एम0 डिप्लोमा किया गया है और नर्सिंग अधिकारी डिग्री धारक हेतु आवेदन किया है या पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 नर्सिंग डिग्री किया है और नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक पद हेतु आवेदन किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

2. पूर्व में विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि "अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सिंग एवं धात्री परिषद् में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।" **अभ्यर्थी के पंजीकरण के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि:–**

   I. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् के पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नम्बर) से भिन्न पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती/करता है तो उन्हे अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

   II. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये उत्तराखण्डनर्सिंग तथा धात्री परिषद का स्थाई/नवीनीकृत (Permanent/Renewed) पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (01 अप्रैल 2024) को वैध होना अनिवार्य है, यदि अभ्यथी के पास ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद का स्थाई/नवीनीकृत (Permanent/Renewed) पंजीकरण प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय मूल रुप में उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हे अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

   III. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करते समय उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में पंजीकरण हेतु आवेदन किया हो एवं उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में रसीद संख्या अंकित की गई है और रसीद सलग्न की गई हो तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उन्हे अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

   IV. यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद का स्थाई/नवीनीकृत (Permanent/Renewed) पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते है तो उन्हे अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

   V. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद के पंजीकरण प्रमाण पत्र को वर्तमान में किसी अन्य राज्य में स्थान्तरित (Transfer) कर दिया गया है और वे आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद का पंजीकरण प्रमाण मूल में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे अध्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

VI. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में एन0यू0आई0डी0 कार्ड पंजीकरण विवरण का उल्लेख किया है तथा अभिलेख सत्यापन दिवस में एन0यू0आई0डी0 कार्ड प्रस्तुत करते है तो उन्हे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने आरक्षण यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी का दावा किया गया है और वे आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की वरिष्ठता सूची में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सम्मिलित हो रहे हों, जैसे कि आयु में लाभ, वरीयता क्रम में लाभ इत्यादि, अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि वैध वांछित अभिलेख मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हे अभिलेख सत्यापन दिवस में अन्तिम रुप से अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

4. ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो वरीयता क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान पाते हैं उनका अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 (ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि) तक वैध होना अनिवार्य है। नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 03 साल है।

5. ऐसे आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो वरीयता क्रम में आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी में स्थान पाते हैं उनका आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र वैध होना अनिवार्य है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 01 साल होती है, परन्तु पूर्व में यह देखा गया है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र छः माह हेतु भी जारी किये गये हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 की आय के आधार पर वर्ष 2023–24 हेतु जारी आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने उपश्रेणी यथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजन के आरक्षण का दावा किया है तथा वे यदि अभिलेख सत्यापन दिवस में सम्बन्धित उपश्रेणी के दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को उपश्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इन अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के आधार पर उनकी वरीयता सूची में उस स्थान पर रखा जायेगा जहां पर वे पूर्व में उनकी श्रेणी के अनुसार स्थान पाते हों।

7. सम्बन्धित विभाग द्वारा नर्सिंग अधिकारी पद हेतु OL (One Leg Affected) दिव्यांगता का चिन्हिकरण किया गया है। दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी यदि OL (One Leg Affected) से भिन्न किसी अन्य श्रेणी की दिव्यांगता श्रेणी में हो तो उन्हे दिव्यांगजन का आरक्षण देय नहीं होगा।

8. आवेदन पत्र में अंकित किये गये दावों से भिन्न किसी भी दावे पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र तथा मूल अभिलेख में डिप्लोमा/डिग्री के कुल प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों यथा अंकपत्रों तथा डिप्लोमा/डिग्री प्रमाण पत्र के अनुसार उनके कुल प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में सत्यापन पटल के नामित अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा ही संशोधित प्राप्तांक तथा उत्तीर्ण वर्ष अंकित किया जा सकता है और अभ्यर्थी द्वारा किये गये संशोधन को स्वप्रमाणित भी किया जायेगा।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को **मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ** निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगेः–

1. अभिलेख सत्यापन हेतु जारी किया गया औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति **(अनिवार्य)**

2. नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
3. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। **(अनिवार्य)**
4. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
6. इण्टरमिडिएट अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
7. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
8. *Diploma in general Nursing and Midwifery/Diploma in general Nursing and Psychiatry/Post Basic B.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing Degree* प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
9. *Diploma/Degree* प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
10. उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद पंजीकरण का वैध/नवीनीकृत प्रमाण पत्र – 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
12. स्थाई निवास प्रमाण पत्र **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति
13. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता–पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
14. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
16. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रुप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
18. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)**
19. मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के अन्तर्गत पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को उनके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा जारी अन्तरिम आदेश की स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा– 2024 (चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत) में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हो और उनके द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् में भी नर्सिंग अधिकारी पद हेतु आवेदन किया गया था, उन्हे उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् में

नर्सिंग अधिकारी के पद हेतु भरे गये आवेदन पत्र या उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग–अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग–अलग सैट क्रमबद्ध रुप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है।

अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रुप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी भ्रामक/तथ्यहीन/झूठी सूचनाओं का प्रचार–प्रसार ना करें।

संलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(प्रो0 विजय जुयाल)
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट– क

नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक, पदकोड– 201 हेतु तिथिवार अभिलेख सत्यापन कलैण्डर

क्र0 सं0	डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यर्थी तथा अनुक्रमांक
1.	1999	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 09 जुलाई 2024 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240001 से 7020240090 तक
2.	2000	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
3.	2002	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
4.	2003	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
5.	2004	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
6.	2005	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
7.	2006	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
8.	2007	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
9.	2008	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
10.	2009	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
11.	2011	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
12.	2011	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240091 से 7020240180 तक
13.	2012	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
14.	2012	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 11 जुलाई 2024 (बृहस्पतिवार/गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240181 से 7020240270 तक
15.	2013	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
16.	2013	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 12 जुलाई 2024 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240271 से 7020240360 तक
17.	2013	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 15 जुलाई 2024 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240361 से 7020240450 तक
18.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
19.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 18 जुलाई 2024 (बृहस्पतिवार/गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240451 से 7020240540 तक
20.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 19 जुलाई 2024 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240541 से 7020240630 तक
21.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 20 जुलाई 2024 (शनिवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240631 से 7020240720 तक
22.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 22 जुलाई 2024 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240721 से 7020240810 तक
23.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित–दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	

क्र0 सं0	डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यथी तथा अनुक्रमांक
24.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यथी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 23 जुलाई 2024 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240811 से 7020240900 तक
25.	2015	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 24 जुलाई 2024 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240901 से 7020240990 तक
26.	2016	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
27.	2016	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 25 जुलाई 2024 (बृहस्पतिवार / गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020240991 से 7020241080 तक
28.	2017	अनुसूचित जाति श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित– दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
29.	2017	अनुसूचित जाति श्रेणी तथा अनारक्षित– पूर्व सैनिक, अनारक्षित–उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 26 जुलाई 2024 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 70202401081 से 7020241180 तक
30.	2018	अनुसूचित जाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित– उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
31.	2018	अनुसूचित जाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित–दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 27 जुलाई 2024 (शनिवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020241181 से 7020241270 तक
32.	2018	अनुसूचित जाति श्रेणी तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग– उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 29 जुलाई 2024 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 62 **अनुक्रमांक–** 7020241271 से 7020241322 तक
33.	2019	अन्य पिछड़ा वर्ग– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अन्य पिछड़ा वर्ग– उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी।	
34.	2020	अन्य पिछड़ा वर्ग– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित– दिव्यांगजन, अनारक्षित–उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी।	
35.	2021	अनुसूचित जाति– पूर्व सैनिक के समस्त अभ्यर्थी।	
36.	2022	अन्य पिछड़ा वर्ग– दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति– उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, अनारक्षित– दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी।	
37.	2023	अनुसूचित जाति– पूर्व सैनिक, अनारक्षित– दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी।	

<u>नोट–</u>

- नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक (पदकोड– 201) के अन्तर्गत सम्मिलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी जिन्होने आवेदन पत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखिय पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 29 जुलाई 2024 (सोमवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक परीक्षा– 2024 में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को उसी लिंक पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा किया गया है।
- द्वितीय शनिवार तथा रविवार एवं राजकीय अवकाश (दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2024) को कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे।

नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक, पदकोड– 202 हेतु तिथिवार अभिलेख सत्यापन कलैण्डर

क्र0सं0	डिग्री उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यथी तथा अनुक्रमांक
1.	2004	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 30 जुलाई 2024 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242001 से 7020242090 तक
2.	2005	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
3.	2006	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
4.	2007	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
5.	2008	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
6.	2009	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
7.	2010	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
8.	2011	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
9.	2012	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
10.	2013	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
11.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
12.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 31 जुलाई 2024 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242091 से 7020242180 तक
13.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 01 अगस्त 2024 (बृहस्पतिवार/गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242181 से 7020242270 तक
14.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
15.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 02 अगस्त 2024 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242271से 7020242360 तक
16.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 03 अगस्त 2024 (शनिवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242361 से 7020242450 तक
17.	2016	अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
18.	2016	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 05 अगस्त 2024 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242451 से 7020242540 तक
19.	2017	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
20.	2018	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित–दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
21.	2018	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 06 अगस्त 2024 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 90 **अनुक्रमांक–** 7020242541 से 7020242630 तक
22.	2019	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
23.	2020	अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	

क्र0सं0	डिग्री उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यथी तथा अनुक्रमांक
24.	2020	अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 07 अगस्त 2024 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 45 **अनुक्रमांक–** 7020242631 से 7020242675 तक
25.	2021	अनारक्षित– उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, अनारक्षित– दिव्यांगजन, अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
26.	2022	अनारक्षित– दिव्यांगजन, अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
27.	2023	अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
28.	2024	अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	

नोट–

- नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक (पदकोड– 202) के अन्तर्गत सम्मलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी जिन्होने आवेदन पत्र में डिग्री उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखिय पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 07 अगस्त 2024 (मंगलवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक (पदकोड– 202) में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को उसी लिंक पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा किया गया है।
- रविवार को कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे।

नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक, पदकोड– 203, हेतु तिथिवार अभिलेख सत्यापन कलैण्डर

क्र0सं0	डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यथी तथा अनुक्रमांक
1.	2005	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 08 अगस्त 2024 (वृहस्पतिवार / गुरुवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 95 **अनुक्रमांक–** 8020240001 से 8020240095 तक
2.	2006	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
3.	2007	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
4.	2008	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
5.	2009	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
6.	2010	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
7.	2011	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
8.	2012	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
9.	2013	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
10.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
11.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 09 अगस्त 2024 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 95 **अनुक्रमांक–** 8020240096 से 8020240190 तक
12.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
13.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 12 अगस्त 2024 (सोमवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 95 **अनुक्रमांक–** 8020240191 से 8020240285 तक
14.	2016	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी – उपश्रेणी तथा अनारक्षित–स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित के समस्त अभ्यर्थी	
15.	2016	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी– उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 13 अगस्त 2024 (मंगलवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 96 **अनुक्रमांक–** 8020240286 से 8020240381 तक
16.	2017	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समस्त अभ्यर्थी तथा अनारक्षित–स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित के समस्त अभ्यर्थी	
17.	2018	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी–उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग– दिव्यांगजन, अनारक्षित– दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
18.	2019	अनारक्षित–स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित के समस्त अभ्यर्थी	
19.	2023	अन्य पिछड़ा वर्ग– दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
20.	2024	अनारक्षित– पूर्व सैनिक उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	

नोटः–

- नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक (पदकोड– 203) के अन्तर्गत सम्मलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी जिन्होने आवेदन पत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखिय पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 13 अगस्त 2024 (मंगलवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक (पदकोड– 203) में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को उसी लिंक पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा किया गया है।
- द्वितीय शनिवार तथा रविवार को कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे।

नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीधारक, पदकोड– 204, हेतु तिथिवार अभिलेख सत्यापन कलैण्डर

क्र0सं0	डिग्री उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी–उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यथी तथा अनुक्रमांक
1.	2003	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 14 अगस्त 2024 (बुधवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 96 **अनुक्रमांक–** 8020242001 से 8020242096 तक
2.	2009	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
3.	2010	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
4.	2011	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
5.	2012	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
6.	2013	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
7.	2014	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
8.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
9.	2015	समस्त श्रेणी– उपश्रेणी के अभ्यर्थी	**अभिलेख सत्यापन की तिथि–** दिनांक 16 अगस्त 2024 (शुक्रवार) **अभ्यर्थियों की संख्या–** 96 **अनुक्रमांक–** 8020242097 से 8020242192 तक
10.	2016	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी तथा अनारक्षित–दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
11.	2017	अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
12.	2018	अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
13.	2019	अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
14.	2020	अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अनारक्षित– स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
15.	2021	अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
16.	2022	अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अनारक्षित– दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	
17.	2023	अनुसचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी	

नोटः–

- नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीमाधारक (पदकोड– 204) के अन्तर्गत सम्मलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी जिन्होने आवेदन पत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखिय पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 16 अगस्त 2024 (शुक्रवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीमाधारक (पदकोड–204) में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को उसी लिंक पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा किया गया है।
- 15 अगस्त 2024 को राजकीय अवकाश होने पर कार्यालय में अभिलेख सत्यापन आयोजित नहीं किए जाएंगे।